भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 679

उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2026

डिजिटल भारत निधि

679. डॉ. मल्लू रवि:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने सार्वभौमिक डिजिटल कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए राज्य के नेतृत्व वाली ब्रॉडबैंड अवसंरचना परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए डिजिटल भारत निधि के उपयोग की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों से डिजिटल भारत निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को टी-फाइबर परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तेलंगाना सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ग्रामीण कनेक्टिविटी और डिजिटल समावेशन में तेजी लाने के लिए राज्य ब्रॉडबैंड नेटवर्कों को डिजिटल भारत निधि सहायता प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी ढांचा तैयार करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर)

(क) देश में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को चरणबद्ध तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान के लिए भारतनेट परियोजना अनुमोदित की गई है। सरकार ने भारतनेट परियोजना की समीक्षा की है और देश भर में सभी ग्राम पंचायतों को अपग्रेड करने और जोड़ने के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को मंजूरी दे दी है।

(ख) से (ङ) भारत सरकार ने एबीपी के कार्यान्वयन के लिए तेलंगाना सरकार को सैद्धांतिक अनुमोदन की सूचना दे दी है। तेलंगाना सरकार ने सूचित किया है कि एबीपी के कार्यान्वयन के लिए तेलंगाना रूरल इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीआरआईआईसीएल) नामक एक नया विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) तैयार किया गया है। एबीपी के तहत, भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य में 12,769 ग्राम पंचायतों को अपग्रेड करने और जोड़ने के लिए 3,189 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा, एक पारदर्शी ढांचे का प्रावधान किया गया है जिसके माध्यम से भारतनेट परियोजना के तहत सृजित की गई परिसंपत्तियां बिना किसी पक्षपात सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध हैं ताकि ग्रामीण कनेक्टिविटी और डिजिटल समावेशन में तेजी लाने के लिए फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच), लीज्ड लाइन, डार्क फाइबर आदि जैसी सेवाएं प्रदान की जा सकें।
